न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह)

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
इन्द्रसिह पि0 जोरसिह वगैरा		तहसीलदार शिव

राजस्व आवेदन सं. 177/17 अन्तर्गत धारा 131/136 RLR Act.

अधिवक्तागण –प्रार्थीगण स्वंय, विप्रार्थी राजपैरोकार

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
25.08.2019	प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि मौजा कल्याणपुरा, पटवार मण्ड़ल चोचरा, तह0 शिव के खेत खसरा नम्बरान 211, 235, 236, 237, 239, 292/209 रकबा क्रमशः 16.12, 01.12, 0.03, 0.04, 59.02, 6.10 बीघा भूमि मेरी स्वयं की खातेदारी की है तथा विप्रार्थीगण वह मुझ प्रार्थी के खेत की तरमीमे पूर्व मे रहवासी ढाणी व कब्जे काश्त अनुसार नही होने से हम पक्षकरान के मध्य भविष्य में किसी प्रकार का विवाद पैदा नही हो तथा आने वाले समय में विवाद की समस्या को खत्म करने के लिए हम सभी पक्षकारान आपसी सहमति से मौके पर कब्जा व काश्त एवं रहवासी ढाणीयों अनुसार पुनः तरमीम करवाना चाहते है इसलिए मुझ प्रार्थी के उपरोक्त खेतो एवं विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 210, 238, 278/201, 291/209, 316/239, 318/241 रकबा क्रमशः 6.16, 0.04, 14.06, 0.05, 29.10, 17.08 बीघा भूमि तथा खसरा नम्बर 209, 293/210, 315/238, 317/239, 319/241 रकबा क्रमशः 3.05, 6.17, 0.04, 29.10, 17.08 बीघा भूमि की पूर्व मे की गई तरमीम को निरस्त कर हमारे द्वारा मौके पर कब्जा व काश्त अनुसार तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार पुनः तरमीम दुरूस्त की जावें। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को पंजीयन किया गया तथा तहसीलदार शिव द्वार प्राप्त अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2019/1917 दिनांक 17.07.2019 को तैयार किये गये प्रार्थी व विप्रार्थी की उपस्थिति में तैयार विभाजन प्रस्ताव को इस न्यायालय में अग्रेसित किया है। चूकि प्रकरण धारा 131/136 रा0भू रा0अधि0 के तहत होने से प्रकरण इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का बनता है। प्रकरण में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव आपसी सहमति व मौके पर कब्जा व काश्त अनुसार हल्का पटवारी श्री गोविन्दराम द्वारा तैयार किया गया है तथा प्रकरण में पक्षकारान के अगुष्ट व हस्ताक्षर हल्का पटवारी द्वारा करवाये जाने की पहचान की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाकर राज्य सरकार द्वार चलाये जा रहे डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना अन्तर्गत पूर्व मे की गई उपरोक्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खसरो की तरमीम को निरस्त किया जा कर प्राप्त विभाजन अनुसार नये सिरे से पक्षकारानो के मध्य निम्नानुसार तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।	उपखण्ड अधिकारी शिव

Scanned by CamScanner

क्र. स.	खाता सं	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	खातेदार का नाम	बरंग
1	7	239 239	39.00 19.11	बा.अ. बा.अ.	4.68 2.34	इन्द्रसिह, रेवंतसिंह पि0 जोरसिंह कौम राजपुत, सा.देह खातेदार रहन इन्द्रसिह का हिस्सा PNB शाखा उण्डू	हरा
	योगः–	2	58.11	बा.अ.	7.02		
2.	16	317/239 317/239	19.05 10.00	बा.अ. बा.अ.	2.31 1.20	कूम्पसिंह वल्द पदमसिह कौम राजपूत, सा. देहखातेदार रहन ICICI शाखा भीयाड़	पीला
	योगः–	2	29.05	बा.अ.	3.51		
3.	35	316/239 316/239	19.06 10.00	बा.अ. बा.अ.	2.31 1.20	दुर्गसिंह उम्मेदसिह, हाथीसिह पि0 दलपतसिह कौम–राजपुत, सा. देह खातेदार रहन उम्मेदसिह हाथीसिह का हिस्सा PNB उण्डू	गुलाबी
	योगः–	2	29.06	बा.अ.	3.51		
4	नया	239	1.00	बा.अ.	0.12	इन्द्रसिंह रेवंतसिह पि0 जोरसिह कूम्पसिह वल्द पदमसिह, दुर्गसिंह उम्मेदसिह हाथीसिंह पि0 दलपतसिह राजपूत	लाल

तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका फर्द मय प्रस्तावित नक्शा अनुसार पुनः नये सिरे से नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार शिव प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार पुनः राजस्व रेकर्ड में नये सिरे से तरमीम करते हुये पालना प्रतिवेदन इस न्यायालय मे प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 23/8/17 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 13:24:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: